



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 194]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 14, 2019/पौष 24, 1940

No. 194]

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 14, 2019/PAUSA 24, 1940

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

(सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जनवरी, 2019

का.आ.292(अ).—केन्द्रीय सरकार, संविधान (एक सौ तीन संशोधन) अधिनियम, 2019, की धारा 1 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 14 जनवरी, 2019 जिस तारीख को उक्त अधिनियम के उपबंध प्रवृत्त होंगे, एतद्वारा नियत करती है।

[फा.सं. 20013/01/2018-बीसी-II (ii)]

बी.एल. मीना, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

(Department of Social Justice and Empowerment)

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th January, 2019

S.O. 292(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Constitution (One Hundred and Third Amendment) Act, 2019, the Central Government hereby appoints the 14th January, 2019 as the date on which the provisions of the said Act shall come into force.

[F.No.20013/01/2018-BC-II (ii)]

B.L. MEENA, Jt. Secy.